

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 140/2012

दायरा दिनांक : 26.04.2012

उनवान

अशोक कुमार आत्मज श्री मोहनलाल जी, जाति नायक, निवासी ग्राम उदपुरा, तहसील रामगंजमंडी, जिला कोटा

.... अपीलांत

बनाम



1. बृजमोहन आत्मज श्री बालाराम जी, जाति ढोली, निवासी ग्राम आरोलिया, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़
2. श्रीमती मंजू मोदी पत्नी श्री गोविन्दराम जी मोदी, निवासी मोड़क, तहसील रामगंजमंडी, जिला कोटा
3. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार पचपहाड़, जिला झालावाड़

.... रेस्पोंडेंट

उपस्थित – श्री अनुराग गुप्ता अभिभाषक अपीलांत की ओर से

श्री एन.के. गुप्ता अभिभाषक रेस्पोंडेंट की ओर से

अपील संख्या 141/2012

दायरा दिनांक : 26.04.2012

उनवान

श्रीमती मंजू मोदी पत्नी श्री गोविन्दराम जी मोदी निवासी मोड़क तहसील रामगंजमंडी जिला कोटा

.... अपीलांत

बनाम

1. बृजमोहन आत्मज श्री बालाराम जी, जाति ढोली, निवासी ग्राम आरोलिया, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़
2. अशोक कुमार पुत्र श्री मोहनलाल जी, जाति नायक, निवासी ग्राम उदपुरा, तहसील रामगंजमंडी, जिला कोटा
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपहाड़, जिला झालावाड़

.... रेस्पोंडेंट

(महेन्द्र लोढ़ा)
 भू-प्रबन्ध अधिकारी
 एवं
 पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
 कोटा (राज.)

उपस्थित - श्री एन.के.गुप्ता अभिभाषक अपीलान्त की ओर से
श्री अनुराग गुप्ता, अभिभाषक रेस्पोंडेंट की ओर से


निर्णय दिनांक : 17.12.2020

अपील संख्या 140/2012 तथा 141/2012 अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या - 115/दावा/2010 निर्णय व डिक्री दिनांक 16.04.2012 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।



उक्त दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोंडेंट नम्बर 3 वादी सरकार जरिये तहसीलदार पचपहाड दवारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 175, 177 राजस्थान टीनैन्सी एक्ट 1955 डिक्री फरमाकर वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 938 की बीघा 3 बिस्वा वाकै ग्राम पीपल्या, तहसील पचपहाड अनुसूचित जाति के खातेदार दवारा अनुसूचित जाति व्यक्ति अशोक कुमार के नाम तथा विक्रय पत्र में श्रीमति मंजू मौदी रेस्पोंडेंट नम्बर 2 को खनन करने की स्वीकृति देना व उसके एवज में प्रतिफल प्राप्त करना स्पष्टतः सिद्ध होने से कब्जा भी रेस्पोंडेंट नम्बर 2 मंजू मोदी (सामान्य वर्ग) का सिद्ध होने से राजकीय घोषित की जाकर भूमि को सिवायचक दर्ज कर कब्जा राज लिये जाने का एवम प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी से बेदखल किये जाने का निर्णय एवम डिक्री सादिर फरमाने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार पचपहाड का उक्त आराजी को सिवायचक दर्ज कर कब्जे राज लिये जाने का एवम पालना रिपोर्ट से अवगत कराने का जब तक अधिग्रहित भूमि नियमानुसार पात्र व्यक्तियों को आवन्तित नहीं हो जाती तब तक का काश्त की व्यवस्था करने का निर्णय एवम डिक्री सादिर फरमाने में त्रुटि की है। अपीलान्त अशोक कुमार जाति से नायक है एवं अनुसूचित जाति का सदस्य है। खातेदार विक्रेता बृजमोहन जाति से ढोली है एवम अनुसूचित जाति का सदस्य है। रेस्पोंडेंट नम्बर 1 ने उसके खाते की खसरा नम्बर 933 की 2बीघा 3 बीस्वा भूमि अपीलान्त को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय प्रतिफल की राशि प्राप्त कर खातेदारी अधिकार बैचान कर कब्जा सम्भला दिया था तथा उपरोक्त भूमि वक्त खरीद से ही खरीददार अशोक कुमार के कब्जे में चले आ रही हैं तथा वर्तमान में भी उपरोक्त भूमि अपीलान्त के कब्जे काश्त में है तथा कृषि प्रयोजनार्थ ही काम आ रही है।

(अधिकारी लोका)
भू-सूचना अधिकारी
जिला अधिकारी



रेस्पोजे नम्बर 2 श्रीमती मंजू मोदी का उपरोक्त आराजी पर कब्जा नहीं है तथा उसके द्वारा उपरोक्त आराजी पर कोई खनन कार्य नहीं किया जा रहा है। विक्रेता खातेदार बृजमोहन एवम क्रेता अपीलान्ट अशोक कुमार दोनों कमशः जाति से ढोली एवम नायक है तथा अनुसूचित जाति के सदस्य है। इस कारण भूमि का विक्रय वैध रूप से किया गया है जिसमें राजस्थान टीनैन्सी एक्ट 1955 के किसी भी प्रावधान का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 42बी राजस्थान टीनैन्सी एक्ट 1955 के प्रावधानों का उल्लंघन होना मानकर निर्णय व डिक्री जैर अपील सादिर फरमाने में त्रुटि की है। रेस्पोजे नम्बर 3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपहाड द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में धारा 175 राजस्थान टीनैन्सी एक्ट 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत वाद धारा 42 बी राजस्थान टीनैन्सी एक्ट 1955 के प्रावधान का उल्लंघन नहीं होने से पोषणीय नहीं था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री कर निर्णय व डिक्री जैर अपील सादिर फरमाने में त्रुटि की है।

अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि खातेदार रेस्पोजे नम्बर 1 बृजमोहन द्वारा रेस्पोजे नम्बर 2 श्रीमती मंजू मोदी को खातेदारी अधिकारों का हस्तांतरण नहीं किया गया है, इस कारण धारा 42बी राजस्थान टीनैन्सी एक्ट 1955 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं हुआ है। खनन कार्य करने की सहमति देना एवम खातेदारी अधिकारों का हस्तांतरण करना दोनों पृथक तथ्य हैं काश्तकारी कार्य भूमि की सतह पर होता है तथा खनन कार्य भूमि की सतह के नीचे होता है, इस कारण खनन कार्य की सहमति देने से धारा 42बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवम डिक्री सर्वथा गलत, गैरकानूनी, त्रुटि पूर्ण एवम मनमाना होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त आराजी पर रेस्पोजे नम्बर 2 का कब्जा होना मानकर तनकी नम्बर 1 का निर्णय वादी रेस्पोजे नम्बर 3 के पक्ष में सादिर फरमाने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी अपीलान्ट एवम रेस्पोजे नम्बर 2 के अधिवक्ता को पटवारी हल्का से जिरह करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उसके बयान पर भरोसा कर तनकी नम्बर 1 का निर्णय वादी रेस्पोजे नम्बर 3 के पक्ष में सादिर फरमाने में त्रुटि की है।

(अधिवक्ता लोका)
 पूर्व-प्रवक्ता अधिकारी
 एवं
 पदेन राजस्व अधिकारी
 कोटा (राज.)



अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 2 का निर्णय वादी रेस्पो0 नम्बर 3 के पक्ष में फैसला करने में त्रुटि की है। रेस्पो0 नम्बर 2 द्वारा उपरोक्त भूमि के खातेदारी अधिकारो को खरीदा नहीं गया है खातेदारी अधिकार अपीलान्ट ने खरीद किये है। खातेदार द्वारा रेस्पो0 नम्बर 2 को बाद में खनन कार्य करने की सहमति दी गई। अपीलान्ट उपरोक्त आराजी पर काबिज है एवं कृषि कार्य के लिये ही उक्त आराजी को काम में ले रहा है उपरोक्त तथ्य प्रमाणित है इसके बाद भी अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 42बी एवम धारा 46 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधान का उल्लंघन होना मानकर दावा वादी रेस्पो0 3 डिक्री फरमाने मे त्रुटि की है।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया ।

अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर किया है। निर्णय में 3 तनकी कायम की गई है, जिनका विस्तृत विवेचन कर निर्णय पारित किया गया है। निर्णय में वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 938 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम पीपल्या तहसील पचपहाड को अनुसूचित जाति के खातेदार द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्ति अशोक कुमार के नाम तथा विक्रय पत्र में श्रीमती मंजू देवी को खनन करने की स्वीकृति देना व उसके एवज में प्रतिफल प्राप्त करना राजस्थान टीनैन्सी एक्ट 1955 की धारा 42 एवं धारा 46ए का उल्लंघन पाया जाता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि को राजकीय घोषित किया जाकर सिवायचक दर्ज कर कब्जे राज किये जाने की आज्ञा दी है, जो उचित है। अतः इसमें हम किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील संख्या 140/2012 तथा 141/2012 खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.04.2012 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिकरी व सीगे अपील

Iud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

अपील संख्या 140/2012

अशोक कुमार आत्मज श्री
मोहनलाल जी, जाति नायक,
निवासी ग्राम उदपुरा, तहसील
रामगंजमंडी, जिला कोटा

बनाम

..... अपीलांत

1. वृजमोहन आत्मज श्री बालाराम जी, जाति ढोली, निवासी ग्राम
आरोलिया, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़
2. श्रीमती मंजू मोदी पत्नी श्री गोविन्दराम जी मोदी, निवासी
मोड़क, तहसील रामगंजमंडी, जिला कोटा
3. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार पचपहाड़, जिला झालावाड़

.... रेस्पोंडेंट

अपील संख्या 141/2012

श्रीमती मंजू मोदी पत्नी श्री
गोविन्दराम जी मोदी निवासी
मोड़क तहसील रामगंजमंडी
जिला कोटा

..... अपीलांत

1. वृजमोहन आत्मज श्री बालाराम जी, जाति ढोली, निवासी ग्राम
आरोलिया, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़
2. अशोक कुमार पुत्र श्री मोहनलाल जी, जाति नायक, निवासी ग्राम
उदपुरा, तहसील रामगंजमंडी, जिला कोटा
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपहाड़, जिला झालावाड़

.... रेस्पोंडेंट

अपील नं. 140/2012 व 141/2012
मु.द.नं 115/दावा/2010

एवं नाराजगी डिक्री अदालत -उपखण्ड अधिकारी, भवानीमंडी
निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16-04-2012 एवं

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 23 माह 11 सन् 2020

अपील संख्या 140/2012

हाजरी श्री अनुराग गुप्ता अभिभाषक मिनजानिब अपीलांत एवं श्री एन.के. गुप्ता अभिभाषक मिनजानिब
रेस्पोंडेंट

अपील संख्या 141/2012

हाजरी श्री एन.के. गुप्ता अभिभाषक मिनजानिब अपीलांत एवं श्री अनुराग गुप्ता अभिभाषक मिनजानिब
रेस्पोंडेंट

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :-

अपील संख्या 140/2012 तथा 141/2012 खारिज की जाती है। अधीनस्थ
न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.04.2012 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 17 माह 12 सन् 2020 को जारी किया गया।



(महेन्द्र लोढ़ा)

भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा राज.